



उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग

हरिद्वार-249404

संख्या- 24/A-5/DR/ S.I. /E-5/2023-24

दिनांक :: 26 अप्रैल, 2024

विज्ञप्ति

उप निरीक्षक (नागरिक पुलिस/अभिसूचना), गुल्मनायक (पी.ए.सी./आई.आर.बी.) एवं अग्निशमन द्वितीय अधिकारी परीक्षा-2024

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उप निरीक्षक (नागरिक पुलिस/अभिसूचना), गुल्मनायक (पी0ए0सी0/आई0आर0बी0) एवं अग्निशमन द्वितीय अधिकारी परीक्षा-2024 के रिक्त 222 पदों हेतु विज्ञापन संख्या- A-5/DR/S.I./E-5/2023-24, दिनांक 31 जनवरी, 2024 के द्वारा विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। विज्ञापन के साथ परिशिष्ट-02 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड गृह विभाग के अन्तर्गत उत्तराखण्ड पुलिस के उपनिरीक्षक (नागरिक पुलिस/अभिसूचना) एवं गुल्मनायक के पदों पर चयन हेतु पाठ्यक्रम/परीक्षा योजना को भी प्रकाशित किया गया है। जिसमें दो प्रश्न-पत्रों का उल्लेख किया गया है।

02. उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि पुलिस मुख्यालय उत्तराखण्ड के पत्र संख्या- डी0जी0-एक-201-202(3), दिनांक 31 जनवरी, 2024 पर मा0 आयोग की बैठक में विचार किया गया। सम्यक् विचारोपरान्त पुलिस अधीक्षक, कार्मिक, पुलिस मुख्यालय उत्तराखण्ड के उपरोक्त पत्र के क्रम में उत्तराखण्ड पुलिस उप-निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस/अभिसूचना) सेवा नियमावली, 2018 के परिशिष्ट-4 के नियम-14(4) एवम् उत्तराखण्ड प्रान्तीय सशस्त्र पुलिस (पी0ए0सी0, ए0पी0 एवम् आई0आर0बी0) आरक्षी मुख्य आरक्षी, गुल्मनायक उप-निरीक्षक-सशस्त्र पुलिस, दलनायक प्रतिसार निरीक्षक अधीनस्थ सेवा नियमावली, 2019 के परिशिष्ट-9 के नियम-11(ज) में निहित प्राविधानों के अनुसार 300 अंक की निम्नलिखित संशोधित परीक्षा योजना (वस्तुनिष्ठ प्रकृति) उपर्युक्त परीक्षा हेतु प्रयुक्त किया जायेगा।

क्रमशः02

(02)

लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार)

उत्तराखण्ड गृह विभाग के अन्तर्गत उत्तराखण्ड पुलिस के उपनिरीक्षक (नागरिक पुलिस/अभिसूचना) एवम् गुल्मनायक के पदों पर चयन हेतु परीक्षा योजना

क्र० सं०	प्रश्न-पत्र	विषय वस्तु	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	समय
1	सामान्य हिन्दी तथा सामान्य ज्ञान एवम् मैन्टल एप्टीट्यूड	सामान्य हिन्दी (हाईस्कूल स्तर)	100	100	03 घण्टे
		सामान्य ज्ञान एवं मैन्टल एप्टीट्यूड			
		क- सामान्य बुद्धि एवं तर्कशक्ति परीक्षण	50	200	
		ख- सामान्य जागरूकता	75		
		ग- गणितीय क्षमता (हाईस्कूल स्तर)	75		

नोट- प्रत्येक प्रश्न 01 अंक का होगा। उक्त वस्तुनिष्ठ प्रकृति की परीक्षा में ऋणात्मक मूल्यांकन (Negative marking) पद्धति अपनाई जायेगी। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिये गये गलत उत्तर के लिए या अभ्यर्थी द्वारा एक ही प्रश्न के एक से अधिक उत्तर देने के लिए (चाहे दिये गये उत्तर में से एक सही ही क्यों न हो), उस प्रश्न के लिए निर्धारित अंकों का एक चौथाई (1/4) दण्ड के रूप में काटा जायेगा।

अतः उक्त के सम्बन्ध में अभ्यर्थी विस्तृत जानकारी हेतु आयोग की वेबसाईट psc.uk.gov.in पर पाठ्यक्रम का अवलोकन अवश्य कर लें।

-Sd-

(गिरधारी सिंह रावत)
सचिव।